

प्रेमका,

शिक्षा  
प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश - लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष,  
बाड़ी सेवा संस्थान,  
लौहापुर, साहबगंज, प्रयागराज  
(संस्था - एम. कॉलेज ऑफ़ नर्सरी,  
लौहापुर, साहबगंज, प्रयागराज)

पत्रांक-प्राथिप/परिषद/2018/S65

संलग्नक/दिनांक- 22/04/19

विषय- संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु सहमति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

सहोदर,

उपरोक्त विस्तृत अग्रे पत्र दिनांक 25-02-2018 को संश्लिष्ट करने का आह्वान कर। (उपरोक्त के क्रम में अलग-अलग बताया जा चुका है कि सा. सार्वजनिक न्यायालय में दायित्व सिद्धि अपील संख्या 6408/2012 में भाषित आदेश दिनांक 13-12-2012 को अनुपालन में किसी भी प्रकार से हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद उक्त प्रवेश द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने संबंध में कार्य की अंतिम तिथि उक्त वर्ष को मात्र मई की 15 तक है। प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ जिले में स्वयंसेवक शिक्षक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करता है। एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के प्रमुख संकाय एवं पाठ्यक्रम को अनुमोदन/सहमति की संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार करता है। इस संबंध में सतिपत्र औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती है। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि न.0 सार्वजनिक न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी को अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने हेतु जरूरत तैयार उक्त वर्ष की 30 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

संस्था को सहमति पत्र इस बात के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय कांसुल्टेंट ऑफ़ इज्युकेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2018 तक प्रवेश पत्र में परिषद आसोसक को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं पीएसीआईए नई दिल्ली द्वारा सत्र 2018-20 हेतु प्रदत्त अनुमोदन पत्र परिषद आसोसक में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रेषित/संलग्नक है और उपरोक्तानुसार परिषद अंतर्गत जो पूर्ण किये जाने पर ही संबद्ध होगा।

भवदीय,

91

(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4110-UMA COLLEGE OF  
PHARMACY,LILAPUR,SAHABGANJ,PRATAPGARH-230137

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथि/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

**कार्यालय ज्ञापन:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कामेली कार्यालय सीएम इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु किलोवाट्ट सार्वजनिक तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तहत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संरचना से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संरचना से सम्बद्धता से अतिरिक्त कार्यलय में भेजा गया है। जिसके तहत समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा पूर्ण सहित अन्य सेवाएं पर विचार किये हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

आवर के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के तद-3 में किये गए इन कामेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 के लिए निर्णय लिया गया :-

सिजी क्षेत्र में स्थापित किलोवाट्ट इन कामेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संरचना से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा जारी नया अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनका नाम के समुच्चय विकाश पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को आगत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संरचना द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्णयित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसने अतिरिक्त प्रवेश अथवा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा	पीसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा
1	4110	सयुक्त संघीय ज्योति बाबा, सी.एन.एल, लखनऊ।	विशाल इंग्लिश	50	50

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था प्राथमिक/सेकेंडरी/सिटीय/राज्य द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था सत्र 2020-21 में प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेगी तथा पूर्णतः किलोवाट्ट संचालित संस्थाओं के लिए सत्र 2020-21 में प्रतिवर्ष की प्रतिवर्षीय अनुमोदन की दर 46,000.00/- प्रतिवर्ष एवं पूर्व वर्ष की प्रतिवर्षीय अनुमोदन की दर 46,000.00/- प्रतिवर्ष (सं. 2020-21 में अनुमोदन की दर 46,000.00/- प्रतिवर्ष) के तहत ही अनुमोदन प्राप्त/प्रदान में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की अतिरिक्त सत्र/संस्था से प्राप्त की सम्बद्धता में सत्र-संस्था का अनुमोदन प्राप्त किये जाने वाले अक्षरदेश प्रभावी होने, और अनुमोदन कार्यवाही किया

*(Handwritten Signature)*